RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक २४(२)] मंगळवार, सप्टेंबर २७, २०१६/आश्विन ५, शके १९३८ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगरविकास विभाग

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३० अगस्त २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVII OF 2016.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७, सन् २०१६ ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १२ ।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने १६ जून, २०१६ को महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि १८ जुलाई, २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में बदलने के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) विधेयक, २०१६ (विधानसभा का विधेयक क्र. २७ सन् २०१६) २० जुलाई, २०१६ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, तथा महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त २०१६ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् २८ अगस्त २०१६ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ कहलाए ।

(२) यह १६ जून २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में सशोधन ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अधिनियम में, " नगर निगम अधिनियम " कहा गया है) की धारा ५ की, उप-धारा (२), के खण्ड (क) की, तालिका में,— सन् १९४९ का ५९ ।

(क) प्रविष्टि (तीन) के स्तंभ (२) में, " १४५ से अनधिक होगा " शब्दों तथा अंकों के स्थान में " १५१ से अनधिक होगा " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) प्रविष्टि (चार) के स्थान में, निम्न प्रविष्टियाँ, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (चार) २४ लाख से ऊपर तथा ३० लाख तक ।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १५१ होगी । २४ लाख से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५०,००० की जनसंख्या के लिए, एक अतिरिक्त पार्षद दिया जायेगा, तथापि, इस प्रकार से निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १६१ से अधिक नहीं होगी ।
(पाँच) ३० लाख से ऊपर ।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १६१ होगी । ३० लाख से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त १ लाख की जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त पार्षद दिया जायेगा, तथापि, इस प्रकार से न्यूनतम निर्वाचित पार्षदों की संख्या १७५ से अधिक नहीं होगी । "।

अध्याय तीन

विविध

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

३. (१) इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों से अन्‌असंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ;

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १२ ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्रमांक १२ का प्रत्याहरण द्वारा निरसन तथा व्यावृत्ति ।

४. (१) महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे प्रत्याहरण के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, नगर निगम अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, नगर निगम अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी ।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५, निर्वाचित के साथ-साथ नामित पार्षदों से मिलकर निगम का गठन करने के लिये उपबंध करती है । उक्त धारा ५ की उप-धारा (२) का खण्ड (क), संबंधित निगमों की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होने वाले पार्षदों की संख्या विनिर्दिष्ट करने के लिये समानुपात के लिये उपबंध करती है ।

उक्त धारा ५ की उप-धारा (४) यह उपबंध करती है कि, जहाँ सामान्य निर्वाचनों के पश्चात्, शहर का क्षेत्र विस्तारित हुआ है, वहाँ विस्तारित क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध करने के लिये निर्वाचन, यथासंभव शीघ्र लिया जायेगा । उक्त उप-धारा (४) का प्रथम परंतुक यह उपबंध करता है कि, उस उप-धारा के अधीन विस्तारित क्षेत्र के लिये नये रूप से गठित प्रभागों समेत, शहर में के प्रभागों की कुल संख्या, उप-धारा (२) के खण्ड (क) की तालिका में विनिर्दिष्ट निर्वाचक प्रभागों की संख्या से अधिक नहीं होगी । उक्त उप-धारा (४) का द्वितीय परंतुक यह उपबंध करता है कि, उप-धारा (४) के अधीन नये रूप से गठित प्रभागों की जनसंख्या, अन्य प्रभागों की औसत में सीमित रूप से अधिक या निम्न हो सकेगी ।

२. उप-धारा (२) के खण्ड (क) की, तालिका में प्राप्त उपबंधों के अनुसार, २४ लाख से अधिक जनसंख्या के लिये, निर्वाचित किये जानेवाले पार्षदों की न्यूनतम संख्या १४५ थी । उक्त तालिका यह भी उपबंध करती है कि, २४ लाख से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त १ लाख जनसंख्या के लिये, निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या २२१ पर निर्धारित की गई है, के अध्यधीन, एक अतिरिक्त पार्षद होगा ।

३. सरकार के ध्यान में यह लाया गया था कि कतिपय मामलों में, भले ही, अतिरिक्त क्षेत्रों के समावेशन द्वारा नगर निगम का क्षेत्र विस्तारित किया गया था, निर्वाचित पार्षदों द्वारा निगम के ऐसे विस्तारित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा था, जैसा कि उक्त तालिका यह उपबंध करती है कि, जहाँ २४ लाख से अधिक निगम की जनसंख्या है, वहां २४ लाख से अधिक प्रत्येक १ लाख जनसंख्या के लिये एक अतिरिक्त पार्षद होगा । इस प्रकार, कतिपय मामलों में, ऐसे निगम के ऐसे विस्तारित क्षेत्र, प्रतिनिधित्व के बिना शेष रहते थे ।

४. उस विषमता को हटाने के लिये, २४ लाख से अधिक जनसंख्या होनेवाले निगमों के संबंध में, अतिरिक्त पार्षद के लिये जनसंख्या की विहित प्रमात्रा को कम करना प्रस्तावित था, और तद्नुसार, यह भी प्रस्तावित था कि, निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या तथा निगम के निर्वाचित पार्षदों की संख्या में वृद्धि के लिये जनसंख्या का अनुपात का पुनरीक्षण हो । ऐसे उपबंध यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, विस्तारित क्षेत्रों में जनसंख्या के बहुमत से निगम में प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः, इसलिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ में यथोचित संशोधन करने का प्रस्तावित किया गया था।

५. क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं कि, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, १६ जून २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ।

६. तत्पश्चात्, १८ जुलाई, २०१६ को राज्य विधान मंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) विधेयक, २०१६ (विधान सभा का विधेयक क्र. २७ सन् २०१६) २० जुलाई, २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तथा महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, उसके पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त, २०१६ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) (क) द्वारा यथा उपबंधित रूप में १८ जुलाई २०१६ को राज्य विधान मंडल के पुनः समवेत होने पर उक्त अध्यादेश २८ अगस्त २०१६ के पश्चात, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा और महाराष्ट्र सरकार ने उक्त अध्यादेश के उपबंधों के प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा है।

७. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ३० अगस्त, २०१६।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.